न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा)

मु.न. 20/2013

उनवान

1. सुवा पुत्र चूना, जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. नानूराम पुत्र रामू
2. चन्दादेवी पत्नि बाबूलाल
   जाति अहीर, निवासी ग्राम लालपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. मालीराम पुत्र नानू
4. पिंकी पुत्री नानू नाबालिक संरक्षिका माता नाथीदेवी धर्मपत्नि नानू
5. नाथी पत्नि नानू
6. फूलचन्द पुत्र नानगा
7. भगवानसहाय पुत्र नानगा
8. श्रवण कुमार पुत्र नानगा
9. तीजा पत्नि नानगा
10. मदनलाल पुत्र भूरिया
11. हीरा पुत्र काना
12. बिरदा पुत्र काना
13. शिवदयाल पुत्र परता
14. किशनलाल पुत्र परता
15. शिशपाल पुत्र परता
16. बनवारी पुत्र ताराचन्द
17. सोहन पुत्र ताराचन्द
18. मुकेश पुत्र ताराचन्द
19. मीरादेवी पत्नि ताराचन्द
20. गोपाल पुत्र परसा
21. मोहन पुत्र ताराचन्द
22. राजू पुत्र ताराचन्द
23. मेवादेवी पत्नि कालू
24. देवराज पिता कालूराम
25. ममता पिता कालूराम
26. सुरेन्द पिता कालूराम
27. नाना पिता कालूराम
    नाबालिग जरिये संरक्षका माता मेवादेवी पत्नि कालू
    समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
28. मूलचन्द पुत्र बालू
29. शंकर पुत्र बालू
30. हनुमान पुत्र बालू
    समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लालपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक 30.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत हस्तेडा मे पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 205 रकबा 2.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.03

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला- जयपुर

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 209 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 209/1887 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल किता 9 का कुल रकबा 6.72 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 भाग प्रार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि हैं। जिसमें काश्त करता है तथा उक्त भूमि में पुख्ता मकान बनाकर मय परिवार निवास करता हैं। उक्त भूमि से लगता कोई रास्ता नही हैं।

चौमूं से हस्तेडा जाने वाले रोड व प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के मध्य में खसरा नम्बर 273/2, 277/2, 280/1888/2, 280, 285, 211/3 भूमि स्थित हैं। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी खसरा नम्बर 273/2, 277/2, 280/1888/2 व अप्रार्थी संख्या 3 लगा. 27 की खातेदारी खसरा नम्बर 280, 285 में तथा अप्रार्थी संख्या 28 लगा. 29 की खातेदारी खसरा नम्बर 311/3 हैं।

खसरा नम्बर 273/2, 277/2, 280/1888/2, 280, 285 में रास्ता विद्यमान है तथा आमद रफत के काम में आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही हैं। जिसे प्रार्थी की भूमि के लिए रास्ता नही होने की वजह से खसरा नम्बर 211/3, 285, 280, 280/1888/2, 277/2, 273/2 में से रास्ता 3 मीटर की चौडाई का लेना चाहता हैं।

खसरा नम्बर 211/3, 285, 280, 280/1888/2, 277/2, 273/2 में रास्ता कायम नही किया गया तो प्रार्थी को काश्त करना असंभव हो जायेगा, जिससे परिवार का पालन पोषण ही दुर्भर हो जावेगा।

दिनांक 12.12.2013 को अप्रार्थीगण से बातचीत की, आपकी जमीन से रास्ता दे दो, जिसके बदले में वाजिब कीमत अदा कर दूंगा। जिस पर स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि हमारी जमीन में से कोई रास्ता नही देंगे, जिससे न्यायालय श्रीमान के प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 211/3, 285, 280, 280/1888/2, 277/2, 273/2 में संलग्न नक्शे में बरंग लाल से प्रदर्शित रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार चौमूं से कैम्प कोर्ट में ही रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम लालपुरा के ख0 न0 209 रकबा 1.07 हैक्टेयर, ख0न0 208/1 रकबा 0. 33 हैक्टेयर की खातेदारी सुवा पुत्र चुना कौम अही राहिन जयपुर ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा हस्तेडा के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। ख0न0 209 की उत्तरी सीमा पर ख0न0 322 गै0मु0 रास्ता सिवायचक हैं। ख0न0 324 के वादी की पत्नी श्रीमति प्रभाती देवी पत्नी सुवालाल हि0 1/60 जाति अहीर सहखातेदार हैं। तथा ख0न0 324 में रा0उ0मा0वि0 लालपुरा का भवन बना हुआ हैं, जहां तक ग्रेवल सडक बनी हुई हैं। रास्ता वर्तमान में चालू हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं के पत्रांक कैम्प/2017/21 दिनांक 30.05.2017 के अनुसार पटवारी हल्का हस्तेडा व भू–अभिलेख निरीक्षक हस्तेडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 209 की उत्तरी सीमा पर ख0न0 322 गै0मु0 रास्ता सिवायचक हैं। ख0न0 324 के वादी की पत्नी श्रीमति प्रभाती देवी पत्नी सुवालाल हि0 1/60 जाति अहीर सहखातेदार हैं। तथा ख0न0 324 में रा0उ0मा0वि0 लालपुरा का भवन बना हुआ हैं, जहां तक ग्रेवल सडक बनी हुई हैं। रास्ता वर्तमान में चालू हैं।

अतः उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2017 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट हस्तेडा में न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner